

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 492002
फोन नं. 0771-2221346, फैक्स नं. 0771-2510346 email- lawdept.cg@gov.in

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक **28-02-2024**

क्रमांक/2141/587/21-ब/2024 राज्य शासन एतद्वारा निम्नांकित तालिका में दर्शित अधिवक्ता को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि के लिए पैनल लॉयर नियुक्त करता है।

क्र०	नाम	नामांकन क्रमांक
01	श्रीमती पूर्वा तिवारी	सी.जी / 124 / 2017
02	श्री शैलेन्द्र कुमार पुरिया	सी.जी / 356 / 2015
03	श्री अफरोज खान	सी.जी / 4221 / 2000
04	सुश्री लक्ष्मीन कश्यप	सी.जी / 142 / 2018
05	श्री सौमित्र केशरवानी	सी.जी / 99 / 2019
06	श्री पंकज सिंह	सी.जी / 75-ए / टी.आर / 2012
07	श्री श्रेयांश अग्रवाल	सी.जी / 673 / 2020
08	श्री मलय जैन	सी.जी / 455 / 2017
09	श्री विवेक मिश्रा	सी.जी / 336 / 2017
10	श्री टोपीलाल बरेठ	सी.जी / 591 / 2019
11	श्री एच. ए. पी. एस भाटिया	सी.जी / 313 / 2014
12	श्री प्रतीक तिवारी	सी.जी / 137 / 2018
13	सुश्री अनमोल शर्मा	सी.जी / 546 / 2017
14	सुश्री अंकिता शुक्ला	सी.जी / 60 / 2018
15	श्री ऋषभ बिसेन	सी.जी / 629 / 2020
16	श्री जी. एल. ऊईके	सी.जी / 67 / 2018
17	श्रीमती सुनीता साहू	सी.जी / 832 / 2008
18	श्री तारकेश्वर नंदे	सी.जी / 947 / 2007
19	श्री शरद मिश्रा	सी.जी / 299 / 2015
20	सुश्री नीता तुलसानी थवानी	सी.जी / 778 / 2019

Contd..2..

21	कुमारी अनुजा शर्मा	सी.जी / 332 / 2017
22	सुश्री नुपूर सोनकर	462 / 2015
23	श्रीमती स्मिता झा	494 / 2009
24	श्री अर्पित अग्रवाल	सी.जी / 387-ए / टी.आर. / 2018
25	श्री सौम्य राय	सी.जी / 405 / 2013
26	सुश्री वैशाली मंहिलांग	सी.जी / 501 / 2018
27	श्री प्रतीक सिंह ठाकुर	सी.जी / 97 / 2018
28	श्री रितेश गिरी	सी.जी / 144 / 2019
29	श्री दशरत लाल प्रजापति	सी.जी / 967 / 2006
30	श्री सच्चिदानंद यादव	सी.जी / 356 / 2017
31	श्री सब्यसाची चौबे	सी.जी / 311 / 2012
32	सुश्री ईशा जजोदिया	सी.जी / 618 / 2020
33	श्री अमन तम्बोली	सी.जी / 335 / 2017
34	श्री आदित्य तिवारी	576 / 2015
35	श्री अमन दीप सिंह	सी.जी / 58 / 2021
36	श्री त्रिवेणीशंकर साहू	सी.जी / 218 / 2018
37	सुश्री राजकुमारी यादव	सी.जी / 414 / 2016
38	श्री वेदांत षड़गी	सी.जी / 546 / 2020
39	श्री संजीव कुमार अग्रवाल	180 / 1995
40	श्रीमती नुपूर त्रिवेदी (तिवारी)	462 / 2015
41	श्रीमती बीनू शर्मा	444ए / 2004
42	श्री शाकीब अहमद	383 / 2018
43	श्री देवेश केला	719-ए / टी.आर. 2007
44	श्री हरिओम राय	सी.जी / 109 / 2019
45	सुश्री राशि तिवारी	130 / 2017
46	श्री अमित बक्शी	283 / 2015
47	श्री विवेक शर्मा	सी.जी / 377 / 2018
48	श्री शुभम बाजपेयी	643 / 2020
49	श्री प्राजंल शुक्ला	141 / 2017
50	श्री अभिषेक गुप्ता	6411 / 2019
51	श्री शिवेन्दू पण्ड्या	474 / 2001
52	सुश्री रिंकी कुलपहाड़ी	445 / 2019
53	सुश्री अर्ची अग्रवाल	435 / 2019
54	श्री श्रीकांत कौशिक	407 / 2018

55	श्री अनुराग त्रिपाठी	199 / 2021
56	सुश्री मुक्ता त्रिपाठी	सी.जी / 465 / 2011
57	सुश्री सौम्या शर्मा	387 / 2018
58	श्री कुलेश साहू	574 / 2019
59	श्रीमती पुष्पलता खलखो	453 / 2018
60	श्री श्रीयांश मेहता	751-ए / टी.आर. 2019
61	श्री विकास दुबे	258 / 2013
62	श्री अवलीन जूनेजा गंभीर	86 / 2018
63	श्री करन कुमार बहरानी	1334 / 2021
64	श्रीमती प्रिया शर्मा	110 / 2017
65	श्री कल्पेश रूपरेल	सी.जी / 373 / 2016
66	श्री अजय कुमरानी	सी.जी / 459 / 2016
67	श्री प्रमोद रामटेके	सी.जी / 268 / 2015
68	श्रीमती मांडवी भारद्वाज	सी.जी / 353 / 2008
69	श्री अनमोल शर्मा	सी.जी / 406 / 2013
70	सुश्री आयुषी अग्रवाल	8028 / 2019
71	श्री भरत कुमार गुलबानी	283 / 2017
72	सुश्री निलीमा सिंह ठाकुर	255 / 2020
73	सुश्री अनुराधा जैन	295 / 2015
74	श्री कमलजीत सिंह सैनी	122 / 2017
75	श्री स्वजीत सिंह उबेजा	422 / 2019
76	श्री मयूर खण्डेलवाल	796 / 2020
77	श्री संतोष भारत	3391 / 1996
78	श्री वैभव कार्तिकेय अग्रवाल	सी.जी / 334 / 2017
79	श्रीमती एम. आशा	379 / 2008

पैनल लॉयर को जब किसी मामले में महाधिवक्ता द्वारा नियुक्त किया जाये तब ऐसे प्रत्येक दिन (प्रभावी पेशी) के लिए उच्च न्यायालय में कार्य करने पर छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क/फीस/पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

...4...

नियुक्त पैनल लॉयर का कर्तव्य और दायित्व छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग मैनुअल के तत्संबंधी प्रावधानों से शासित होंगे तथा दोनों पक्ष कभी भी या संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे, परन्तु पैनल लॉयर त्यागपत्र देना चाहे तो एक माह का सूचना पत्र देना आवश्यक होगा।

विधि विभाग नियमावली के नियम 9 के अनुसार नियुक्ति विधि अधिकारी निम्नलिखित आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करें :-

1. (अ) किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा वित्तीय रूप से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है और उनके खिलाफ कोई भी सिविल डिक्री लंबित नहीं है या उकने खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है।
 - (ब) किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के द्वारा या राज्य विधिज्ञ परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद जहां उनका पंजीयन हो, से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।
 - (स) उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया हो।
 - (द) 03 (तीन) वर्ष की विधि व्यवसाय का अनुभव रखते हो।
2. उक्त घोषणा पत्र प्राप्त करने और घोषणा पत्र में उक्त पैनल लॉयर की नियुक्ति हेतु अनर्हता का कोई तथ्य नहीं होने पर ही महाधिवक्ता उन्हें पदभार ग्रहण करने देंगे, यदि कोई प्रतिकूल तथ्य हो तो कार्यभार ग्रहण करने से निषेधित कर विधि विभाग को सूचित करेंगे।
 3. कृपया कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन महाधिवक्ता बिलासपुर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करें।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(रजनीश श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव

विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय

Contd..5..